रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230419
CG-DL-E-14102021-230419

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 473] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 अक्तूबर , 2021

आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021

(2021 का सं. 1)

सं. के-11022/632/2019/अधि./भा.वि.प.प्रा.(2021 का संख्या 1).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 8 के साथ पठित धारा 54 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के उप-खंड (एफ) जो आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 14) द्वारा यथा संशोधित और आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 12(7) एवं आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम 2019 (2019 का संख्या 1) के अधिक्रमण में और उक्त अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा उक्त अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोडकर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-

(1) इन विनियमों को आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 01) कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल-निर्धारण** :-

(1) (क) प्रत्येक सफल आधार ई-केवाईसी कार्य-सम्पादन के लिए अनुरोधकर्ता संस्था से 3/-रुपए (लागू कर सहित) की दर से प्रभार वसूला जाएगा, जबकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्रत्येक सफल आधार ई-केवाईसी कार्य-सम्पादन के लिए 1/- रुपए (लागू कर सहित) की दर से प्रभार वसूला जाएगा ।

(ख) अनुरोधकर्ता संस्था से प्रत्येक सफल हाँ/नहीं कार्य-सम्पादन के लिए 0.50/- रुपए (लागू कर सहित) की दर से अधिप्रमाणन सेवाओं का प्रभार वसूला जाएगा।

(ग) प्रत्येक असफल, किंतु प्रभार्य आधार ई-केवाईसी कार्य-सम्पादन या हाँ/नहीं अधिप्रमाणन कार्य-सम्पादन के लिए अनुरोधकर्ता संस्था से प्रत्येक कार्य-सम्पादन के लिए 0.50/- रुपए (लागू कर सहित) का प्रभार वसूला जाएगा ।

(2) केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा या उनकी ओर से, अधिप्रमाणन कार्य-सम्पादन पर विनिर्दिष्ट सेवाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं के अन्तरण संबंधी अधिप्रमाणन कार्य-सम्पादन प्रभार से छूट होगी ।

(3) उपरोक्त प्रभार, लाइसेंस शुल्क और वित्तीय हतोत्साहन, यथा लागू, के अतिरिक्त होंगे ।

(4) कार्य-सम्पादन त्रुटि कोडों एवं उससे संबंधित प्रभारों का ब्योरा अलग से जारी किया जाएगा ।

(5) उपर्युक्त विनियम 2(1) के अंतर्गत अधिप्रमाणन कार्य सम्पादन प्रभारों (आधार ई-केवाईसी तथा हाँ/नहीं कार्य-सम्पादन दोनों के लिए) को प्रत्येक दो वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई) से जोड़कर एवं निकटतम 10 पैसे से पूर्णांकित कर संशोधन किया जाएगा।

3. **अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं की अनिरंतरता** :-

(1) यदि कोई विद्यमान अनुराधकर्ता संस्था [उपरोक्त 2(2) विनियमों में दी गयी छूट को छोडकर], इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि के बाद आधार अधिप्रमाणन की सेवाओं का उपयोग जारी रखती है तो, यह समझा जाएगा कि वह निर्दिष्ट अधिप्रमाणन प्रभारों के प्रति सहमत है। संस्थाओं को, उपयोग पर आधारित संबंधित बीजक (इनवोइस) जारी होने के 15 दिनों के अंतगर्त अधिप्रमाणन कार्य-सम्पादन प्रभारों को जमा करना अपेक्षित होगा। 15 दिनों की अवधि के बाद भुगतान में विलंब होने पर, 1.5% प्रतिमाह की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करना होगा तथा अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी ।

(2) यदि कोई अनुरोधकर्ता संस्था अधिप्रमाणन कार्य-सम्पादन के प्रभारों का भुगतान नहीं करना चाहती है, तो वह आधार अधिप्रमाणन सेवाओं के उपयोग को बंद कर देगी और वह अपने निर्णय से तुरंत यूआईडीएआई को सूचित करेगी और वह आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 23 के अनुसार अधिप्रमाणन सुविधाओं को ऐक्सेस करने का परित्याग कर देगी । हालांकि अधिप्रमाणन सेवाओं के ऐक्सेस के निष्क्रिय होने की तिथि तक लागू कार्य-सम्पादन प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./343/2021-22]

टिप्पणी : मुख्य विनियमों यथा आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 1), जो दिनांक 07 मार्च 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग III, खण्ड 4, संख्या 90 में दिनांक 06, मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या के- 11022/632/2019/अधि./भा. वि. प. प्रा. (2019 का संख्या 01) के द्वारा प्रकाशित हुए, के अधिक्रमण में ।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October , 2021

THE AADHAAR (PRICING OF AADHAAR AUTHENTICATION SERVICES) REGULATIONS, 2021

(No. 1 of 2021)

No. K-11022/632/2019/Auth/UIDAI (No. 1 of 2021).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clauses (f) of sub-section (2) of Section 54 read with Section 8 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No.14 of 2019) and Regulation 12(7) of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016 and in supersession of the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2019 (No. 1 of 2019), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Unique Identification Authority of India, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021 (No. 1 of 2021)**.**

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Pricing of Aadhaar Authentication Services. —

(1) (a) Each successful Aadhaar e-KYC transaction shall be charged @ Rs. 3 (including applicable taxes) from requesting entities except Telecom Service Providers for whom the rate shall be Re. 1/- (including applicable taxes) for each successful Aadhaar e-KYC transaction;

(b) Each successful Yes/No authentication transaction shall be charged @ Rs. 0.50 (including applicable taxes) from requesting entities;

(c) Each failed, but chargeable Aadhaar e-KYC transaction or Yes/No authentication transaction shall be charged @ Rs. 0.50 (including applicable taxes) per such transaction from requesting entities.

(2) Authentication transactions done by or on behalf of the Central and State Government Ministries/ Departments, for specified services, transfer of benefits and subsidies, shall be exempt from Authentication transaction charges.

(3) The above charges shall be in addition to the License fees and financial disincentives, as applicable.

(4) Details of the chargeable transaction error codes shall be issued separately from time to time.

(5) The Authentication transaction charges (for both Aadhaar e-KYC and Yes/No transactions) as in Regulation 2(1) above shall be revised every two years by linking it with the Consumer Price Index (CPI) and rounding it off to the nearest 10 paisa.

3. Discontinuation of authentication and e-KYC services. —

(1) If an existing requesting entity [except those exempt under Regulation 2(2) above], continues to use Aadhaar authentication services beyond the date of publication of these Regulations, it shall be deemed to have agreed to the specified authentication charges. The entities shall be required to deposit the authentication transaction charges within 15 days of issuance of the invoice based on the usage. The delay in payment beyond 15 days shall attract interest compounded @ 1.5% per month and discontinuation of authentication and e-KYC services.

(2) In case a requesting entity does not wish to pay authentication transaction charges, it shall discontinue the use of Aadhaar authentication services and intimate its decision to the UIDAI immediately, and it shall surrender its access to the authentication facilities as per Regulation 23 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016. However, the transaction charges as applicable till the date of de-activation of access to authentication services shall have to be paid.

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./343/2021-22]

Note : In supersession of the Principal regulations i.e. the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2019 (No. 1 of 2019) which were published *vide* Notification No. K-11022/632/2019/Auth/UIDAI (No. 1 of 2019), dated 6th March 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 90, dated 7th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.14 22:23:46 +05'30'